रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102020-222846
CG-DL-E-30102020-222846

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942**
No. 457] **NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942**

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2020

सं.एन.एम.सी./एम.सी.आई.-34(41)/2020-मेडि./123626.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की धारा 61(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" को पुन: संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. (i) ये विनियम "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली(संशोधन), 2020" कहे जाएं।
   (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "अर्हक मापदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(2) में अंतिम पैरा के पश्चात निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा।

2क. शैक्षिक सत्र 2021-22 से स्थापित किए जा रहे मेडिकल कॉलेजों के लिए

1. प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में, कॉलेज/अस्पताल के संकाय सदस्यों और अन्य स्टाफ के लिए आवासीय क्षेत्र के साथ या के बिना, छात्रों और इंटर्नों के लिए मेडिकल कॉलेज, संबद्ध अस्पताल तथा छात्रावास शामिल होगा। यह वांछनीय है कि छात्रों/इंटर्नों के लिए मेडिकल कॉलेज, छात्रावास तथा अध्यापन अस्पताल/संस्थान एक एकात्मक परिसर में हो।

2. तथापि, एक्स और वाई श्रेणी के शहरों में, पर्वतीय तथा पूर्वोत्तर राज्यों और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में यह परिसर भूमि के दो भूखंडों – एक अध्यापन अस्पताल में स्थित और दूसरा छात्रों और इंटर्नों के लिए छात्रावास वाले मेडिकल कॉलेज में भी हो सकता है।

3. यदि परिसर भूमि के एक भूखंड से अधिक में स्थित है तो इन भूखंडों में से प्रत्येक के बीच की दूरी 10 किलोमीटर से कम या 30 मिनट के यात्रा समय से कम, इनमें से जो भी कम हो, होनी चाहिए।

4. बशर्ते कि जहां सरकारी जिला अस्पताल के नाम पर किसी मेडिकल कॉलेज के अध्यापन अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए विचार किया जा रहा है, जिला अस्पताल के सभी संघटक, चाहे वे भूमि के दो भूखंडों पर हैं, के नाम पर संबद्ध अध्यापन अस्पताल के रूप में विचार किया जाएगा, बशर्ते कि मुख्य जिला अस्पताल में कम से कम 300 बिस्तर हों।

5. मेडिकल कॉलेज, इस अनुसूची के विभिन्न भागों में यथाविनिर्दिष्ट अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ, छात्र प्रसुविधाओं आदि के लिए विभिन्न अध्यापन क्षेत्रों (कॉलेज और अध्यापन अस्पताल – दोनों में), पुस्तकालय, प्रशासनिक क्षेत्रों, कमरों को स्थान देने के लिए पर्याप्त निर्मित स्थान उपलब्ध कराएगा।

6. भवन और अन्य निर्मित अवसंरचना, भवन कोडों तथा स्थानीय भवन निर्माण उप-विधियों के अनुरूप होने चाहिए।

7. अध्यापन अस्पताल का निर्मित क्षेत्र न्यूनतम बिस्तरों, अध्यापन सुविधाओं और इन विनियमों में एमबीबीएस के छात्रों की विभिन्न वार्षिक प्रवेश क्षमताओं के लिए विनिर्धारित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय मापदंडों और स्थानीय भवन निर्माण उप-विधियों के अनुरूप होना चाहिए।

8. इसके अलावा, मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए उपयोग की जा रही भूखंड किसी अन्य कॉलेज / संस्थान (जैसे नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी अन्य कॉलेज या छात्रावास या आवास) के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

3. "अर्हक मापदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(5) में अंतिम पैरा के पश्चात निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा:

5(क) शैक्षिक सत्र 2021-22 से स्थापित किए जा रहे मेडिकल कॉलेजों के लिए : कि व्यक्ति किसी अध्यापन संस्थान में विकसित किए जाने में सक्षम आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ एक पूर्णत: कार्यात्मक न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले अस्पताल के स्वामित्व वाला हो और उसका प्रबंधन करता हो। बशर्ते कि पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों में आरंभण के समय बिस्तरों की अपेक्षित संख्या 250 हो सकती है। ऐसे सभी अस्पतालों में आपातकालिक देखभाल के लिए अतिरिक्त 30 बिस्तरे अनिवार्य रूप से होने चाहिए। इसके अलावा, यह अस्पताल दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए पूर्णत: कार्यात्मक होना चाहिए।

4. "अनुमति की स्वीकृति" शीर्षक के अंतर्गत खंड 8 में मौजूदा खंड 8(3)(1) के पश्चात निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा:

8(3)(1क) **शैक्षिक सत्र 2021-22 से स्थापित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए :** कोई मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और छात्रों को दाखिल करने की अनुमति आरंभत: एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है और वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की शर्त के अधीन वार्षिक आधार पर नवीकृत की जा सकती है। प्रथम नवीकरण, तृतीय नवीकरण और मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रदान की जाने वाली एमबीबीएस शैक्षिक योग्यता की मान्यता प्रदान किए जाने तक अवसंरचना, मानव संसाधनों और अन्य सुविधाओं का वास्तविक सत्यापन किया जाएगा। व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विनिर्धारित समय अनुसूची के अनुसार नवीकरण के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का मेडिकल मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड को आवेदन करे। इसके अलावा, किसी भी चरण में दाखिले नहीं किए जाएंगे, जब तक वार्षिक एमबीबीएस दाखिलों के लिए सुसंगत न्यूनतम मानक शर्त विनियमावली में विनिर्धारित शर्तों और धारा 10क के अंतर्गत अनुमति की

स्वीकृति के लिए चरण-वार शर्तें पूरी न की गई हों। इसके अलावा, शैक्षिक सत्र 2021-22 से स्थापित किए जा रहे सभी मेडिकल कॉलेजों पर विनियम 8(3)(1) के परंतुक लागू रहेंगे।

[विज्ञापन-III/4/आसा./323/2020 21]

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामत: "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999", जिसे 28 अगस्त, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग ।।।, खंड (4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या 34(41)/98-मेड. के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 22.10.1999, 01.08.2008, 26.08.2009, 22.10.2009, 13.11.2009, 02.02.2010, 26.02.2010, 16.04.2010, 14.10.2011, 04.06.2012, 01.10.2012, 19.03.2014, 22.08.2014, 19.10.2015, 14.01.20216, 01.02.2016, 08.02.2016, 31.01.2017, 01.06.2017, 03.07.2017, 05.02.2019, 14.05.2019 और 27.06.2019 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

NATIONAL MEDICAL COMMISSION
AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2020

No. NMC/MCI-34(41)/2020-Med./123626.—In exercise of the powers conferred by Section 10(A) read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), and section 61(2) of the National Medical Commission Act, 2019, the National Medical Commission hereby makes the following Regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999" namely: -

1. (i) These Regulations may be called the "Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2020.

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Clause 2(2) under the heading "QUALIFYING CRITERIA", after the last para the following new para shall be added:-

(2A) For Medical Colleges being established from Academic Session 2021-22:

1. Every medical college shall comprise of the Medical College, the attached Teaching hospital/(s), and the residential area for the students with or without the residential area for faculty and other staff of college/hospital. It is desirable that the medical college, residential complex for students/interns and the teaching hospital/institution be in a unitary campus.

2. However, in Category X and Y cities, Hilly areas, Northeastern states and notified tribal areas the campus could also be in 2 plots of land – one housing the teaching hospital and the other the medical college with hostels for students and interns.

3. If the campus is housed in more than 1 plot of land, the distance between each one of these plots should be less than 10 kms or less than of 30 mins travelling time, whichever is lesser.

4. Provided that where the Government District Hospital is being considered for use as the teaching hospital of a medical college, all constituents of the District Hospital, even if they are on two plots of land, will be considered as the affiliated teaching hospital, provided that the main District hospital has atleast 300 beds.

5. The medical college shall provide adequate built-up space to accommodate various teaching areas (both in the college and the teaching hospital), Library, administrative areas, rooms for teaching and non-teaching staff, student amenities, etc as specified in various sections of this schedule.

6. The building and other built up infrastructure must conform to building codes and local building bye-laws.

7. The built up area of the teaching hospital must conform to national norms and local building bye-laws having considered the minimum beds, teaching facilities and other requirements prescribed for the various annual intakes of MBBS students in these regulations.

8. Further, the parcel of land being used for establishing the medical college is not to be used for any other college/institution (such as Nursing College, Dental College, Engineering College or any other College or Hostel or accommodation).

3. In Clause 2(5) under the heading "QUALIFYING CRITERIA", after the last para the following new para shall be added:-

(5A) For Medical Colleges being established from Academic Session 2021-22: That the person owns and manages a fully functional minimum 300 bedded Hospital with necessary infrastructural facilities capable of being developed into a teaching institution. Provided that in North-Eastern States and Hilly Areas, the bed strength required at the time of inception may be 250. An additional 30 beds for emergency care should be mandatory in all such Hospitals. Further the Hospital should be fully functional for a minimum period of two years.

4. In Clause 8 under the heading "GRANT OF PERMISSION" after the existing clause 8 (3) (1) the following new para shall be added:-

8(3) (1A) **For Medical Colleges being established from Academic Session 2021-22:** The permission to establish a Medical College and admit students may be granted initially for a period of one year and may be renewed on yearly basis subject to achievements of annual targets. Physical Verification of infrastructure, human resources and other facilities shall be carried out for first renewal, third renewal and until recognition of the MBBS qualification awarded by the Medical College is granted. It shall be the responsibility of the person to apply to the Medical Assessment and Rating Board of the National Medical Commission for the purpose of renewal in accordance with the prescribed time schedule. Further admissions shall not be made at any stage unless the requirements laid down in relevant Minimum Standard Requirement Regulations for Annual MBBS Admissions and Phasewise Requirements for grant of Permission under section 10A are fulfilled. Further, the proviso to Regulation 8 (3) (1) shall remain applicable to all Medical Colleges being established from academic session 2021-22 onwards.

[Advt.III/4/Exty./323/2020-21]

Dr. R.K. VATS, Secy.

Note: The Principal Regulations namely, ""Establishment of Medical College Regulations, 1999" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1999, vide Medical Council of India notification No.34(41)/98-Med. and amended vide notification dated 22/10/99, 01/08//2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 13/11/2009, 02/02/2010, 26/2/2010, 16/4/2010, 14/10/2011, 4/6/2012, 1/10/12, 19/3/14, 22/8/14, 19/10/2015, 14/01/2016, 01/02/2016, 08/02/2016, 31/01/2017, 01/06/2017, 03/07/2017, 05/02/2019, 14/05/2019, and 27/06/19..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM